

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 114/12
संस्थापन दिनांक:-02/03/12
फाईलिंग नं. 233504000912012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

मखवू उर्फ मन्नू पिता बिरजन,
 उम्र 45 वर्ष, निवासी उमरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

-(निर्णय) :-

(आज दिनांक 16.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 01.03.2012 को शाम 06:10 बजे या उसके लगभग ग्राम खरपड़ा खेड़ी नहर के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.03.2012 को प्रधान आरक्षक बिसन सिंह को कस्बा भ्रमण के दौरान ग्राम खरपड़ा खेड़ी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नहर के पास एक व्यक्ति गुप्तीनुमा छुरी लिये खड़ा है और आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में छुरीनुमा गुप्ती लिये आने जाने वालों को डराते धमकाते मिला जिससे गवाहों के समक्ष एक लोहे की गुप्तीनुमा छुरी जप्त की गयी। अभियुक्त द्वारा जिसे रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 87/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये

अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.03.2012 को शाम 06:10 बजे या उसके लगभग ग्राम खरपड़ा खेड़ी नहर के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 01.03.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथग्राम खरपड़ा नहर के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में गुप्तीनुमा छुरी लेकर आने जाने वालों को डराते धमकाते मिला। जिसके संबंध में अभियुक्त से कागजात पूछने पर सने कागजात न होना बताया जिस पर उसने अभियुक्त से मौके पर ही एक लोहे की गुप्तीनुमा छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 87/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए की छुरी को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 रामराव (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वर्ष 2012 में पुलिस थाना आमला में सैनिक के पद पर पदस्थ रहते हुए वह थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ ग्राम उमरिया थाने की जीप से गया था वहां से लौटते समय ग्राम खरपड़ा खेड़ी नहर के पास अभियुक्त हाथ में लोहे की गुप्तीनुमा छुरी लिये मिला जिससे थाना प्रभारी द्वारा लायसेंस पूछने पर लायसेंस न होना बताये जाने पर थाना प्रभारी ने अभियुक्त से छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया था।

7 साक्षी अंकुर पवार (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अंकुर पवार (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र पुलिस साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-1) एवं रामराव (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षी की पुष्टि के आभाव में भी यदि पुलिस साक्षियों की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। अतः प्रकरण में पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 रामराव (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ थाने की जीप में मौके पर पहुंचना बताया है तथा यह बताया है कि अभियुक्त मख्खू हाथ में लोहे की गुप्तीनुमा छुरी लिये मौके पर था जिससे थाना प्रभारी के द्वारा पूछताछ की गयी थी। बिसनसिंह (अ.सा.-1) ने कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी अंकुल तथा लालमन के साथ मौके पर पहुंचना तथा मौके पर अभियुक्त के हाथ में गुप्तीनुमा छुरी होना बताया है तथा उससे जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है।

10 रामराव (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ कस्बा भ्रमण के लिए गया था और साथ में बिसनसिंह (अ.सा.-1) भी थे तथा पैरा क. 3 में साक्षी ने यह बताया है कि उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर लिये गये थे तथा मौके पर स्टाफ एवं अभियुक्त के अतिरिक्त दो-तीन लोग थे। जबकि बिसनसिंह (अ.सा.-1) ने सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी अंकुर तथा लालमन के साथ मौके पर पहुंचना बताया है। इसके अतिरिक्त रामराव (अ.सा.-2) ने थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ कस्बा भ्रमण पर जाना बताया है एवं साथ में विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-1) का होना बताया है परंतु विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-1) के कथनानुसार कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षियों को साथ लेकर मौके पर गया था। इस तरह से उपर्युक्त पुलिस साक्षियों के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है।

11 बिसनसिंह (अ.सा.-1) की साक्ष्य से कहीं भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष जप्तशुदा आयुध को सीलबंद किया गया हो तथा उसकी नापजोप की गयी हो। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में रवानगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा भी सलग्न नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। अतः ऐसी दशा में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि कथित आयुध आर्टिकल-ए वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.03.2012 को शाम 06:10 बजे या उसके लगभग ग्राम खरपड़ा खेड़ी नहर के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त मख्खू उर्फ मन्नू को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त शुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)